भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 222*

(09 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

222*. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रॉवः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) को विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये धनराशि के आबंटन एवं उसके उपयोग का राज्य-वार तथा आंध्र प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डीआरडीए के प्रभावी कार्यकरण तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये डीआरडीए को सशक्त बनाने हेतु कोई सुझाव/शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

लोक सभा में 09.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डीआरडीए प्रशासन योजना के अंतर्□त केंद्रीय आबंटनों और केंद्र द्वारा रिलीज़ की □ई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध "क" और आँध्र प्रदेश राज्य के संबंध में इन निधियों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध "ख" में दर्शाया □या है।

(ख) से (□) इस योजना के प्रभावी कामकाज और कार्यान्वयन के लिए डीआरडीए में सुधार के संबंध में कोई विशिष्ट सुझाव/शिकायत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, देश में डीआरडीए के कामकाज की समीक्षा करने तथा इसके पुनर्□ठन के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के उद्देश्य से श्री वी. रामचंद्रन की अध्यक्षता में एक समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2010 (दो हजार दस) में □ठित की थी। इस समिति ने वर्ष 2012 (दो हजार बारह) में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें डीआरडीए के पुनर्□ठन के लिए कुछ सिफारिशें की □ई थी। इस समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं:

1. जिला योजना इत्यादि की तैयारी में जिला आयोजना समिति (डीपीसी)/जिला परिषद की सहायता करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला योजना सहायता एकक (डीपीएसयू) की स्थापना करना।
2. डीपीएसयू जैसी संरचना के साथ राज्य स्तरीय सहायता एकक की स्थापना करना।
3. डीआरडीए का सोसायटी का दर्जा समाप्त करना।
4. डीआरडीए के कर्मचारियों के लिए अस्थायी व्यवस्था करना।

इस समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कुल वित्तीय प्रभाव ल□भ□ 12,671 (बारह हजार छः सौ इकहत्तर) करोड़ रु. आंका □या था। इस समिति की सिफारिशों को शुरूआत में कुछ आशोधनों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था और डीआरडीए के पुनर्□ठन के विषय में व्यय वित्त समिति हेतु नोट अंतर-विभा□ीय परामर्श के लिए परिचालित किया □या था। तत्पश्चात, व्यय वित्त समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुन: इस विषय में विचार किया। इस प्रस्ताव की जटिलता और वित्तीय प्रभाव की बड़ी धनराशि तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में डीआरडीए की कम होती भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को बंद कर दिया □या।

तत्पश्चात, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए निष्पादन आधारित भु□तानों संबंधी समिति को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2016 (दो हजार सोलह) में □ठित किया। श्री सुमित बोस की अध्यक्षता में □ठित इस समिति ने जिला पंचायतों के साथ डीआरडीए के विलय की सिफारिश की थी। इसके बाद डीआरडीए प्रशासन योजना का मूल्यांकन अध्ययन भी शूरू किया □या।

(लोक सभा में 09.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *222 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-क)

वित्त 3 वर्षों के दौरान डीआरडीए के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय आवंटन और रिलीज की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-2017		2017-2018		2018-19	
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज
1	आंध्र प्रदेश	538.60	779.29	633.16	709.91	516.94	561.40
2	तेलंगाना	356.35	248.81	418.84	178.96	341.94	372.72
3	बिहार	1494.10	1177.68	1756.24	1180.62	1433.96	716.98
4	छत्तीसगढ़	850.63	577.55	999.96	705.84	816.50	908.84
5	गोवा	71.15	71.12	83.60	58.58	68.28	34.14
6	गुजरात	1120.25	901.27	1316.64	1029.70	1075.16	1188.02
7	हरियाणा	678.39	567.46	797.40	407.32	651.14	325.57
8	हिमाचल प्रदेश	586.02	628.91	688.84	521.34	562.24	603.28
9	जम्मू और कश्मीर	1096.21	652.50	1288.54	445.90	1051.72	1126.96
10	झारखंड	909.94	1140.13	1069.40	963.94	873.26	955.34
11	कर्नाटक	969.21	925.89	1139.28	513.26	930.28	1032.88
12	केरल	530.47	778.57	623.52	621.84	509.04	509.04
13	मध्य प्रदेश	1663.21	1839.93	1988.64	949.52	1623.88	1798.30
14	महाराष्ट्र	1271.28	1675.93	1494.12	1209.33	1219.94	1336.22
15	ओडिशा	1108.39	1626.95	1302.72	1171.97	1063.68	1063.68
16	पंजाब	717.07	883.44	842.92	703.22	688.26	763.50
17	राजस्थान	1135.22	967.91	1334.28	1223.19	1089.50	1202.36
18	तमिलनाडु	1205.12	1760.19	1416.48	1612.40	1156.44	1262.46
19	उत्तर प्रदेश	2807.20	2886.97	3299.36	3225.95	2694.04	2950.54
20	उत्तरांचल	677.77	215.53	796.66	31.36	650.20	325.10
21	पश्चिम बंगाल	788.25	536.19	926.56	595.89	756.56	824.96
22	अं. एवं नि. द्वीप समूह	143.53	101.97	120.18	60.09	100.98	100.98
23	दादर और नगर हवेली	47.84	47.80	40.06	20.03	33.66	33.66
24	दमन और दीव	47.84	0.00	40.06	0.00	33.66	9.68
25	लक्षद्वीप	59.29	0.00	49.70	0.00	41.70	20.85
26	पुदुचेरी	59.29	40.00	164.00	84.00	105.00	52.50
27	अरुणाचल प्रदेश	951.10	905.35	1118.00	991.69	912.56	980.96
28	असम	1394.84	1832.49	1639.58	1569.58	1337.92	1337.92
29	मेघालय	494.27	251.95	581.02	473.43	474.28	511.90
30	मणिपुर	418.45	326.02	491.88	245.94	401.52	424.24
31	नागालैंड	514.87	444.55	605.22	220.63	494.04	531.66
32	मिजोरम	344.48	522.00	404.96	451.14	330.56	357.92
33	सिक्किम	53.36	26.65	62.72	31.36	51.20	55.46
34	त्रिपुरा	395.99	159.00	465.46	296.14	379.96	189.98

अनुबंध-ख

(लोक सभा में 09.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *222 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-ख)

आंध्र प्रदेश के संबंध में विगत 3 वर्षों के दौरान डीआरडीए के लिए केंद्रीय आवंटनों और निधियों की रिलीज का जिला-वार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	**जिला/डीआरडीए का नाम**	**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**	
		केंद्रीय आवंटन	**रिलीज**	**केंद्रीय आवंटन**	**रिलीज**	**केंद्रीय आवंटन**	**रिलीज**
1	अनंतपुर	41.80	50.09	49.16	55.48	40.14	43.56
2	चित्तूर	41.80	61.39	49.16	55.48	40.14	43.56
3	कडप्पा (कपडा)	40.52	59.52	47.68	54.00	38.92	42.34
4	पूर्वी गोदावरी	41.80	61.39	49.16	55.48	40.14	43.56
5	गुंटूर	41.80	61.39	49.16	55.48	40.14	43.56
6	कृष्णा	41.80	61.39	49.16	54.69	40.14	43.56
7	कुरनूल	40.52	59.52	47.68	54.00	38.92	42.34
8	नेल्लोर	40.52	59.52	47.68	54.00	38.92	42.34
9	प्रकाशम	41.80	61.39	49.16	55.48	40.14	43.56
10	श्रीकाकुलम	41.80	61.39	49.16	55.48	40.14	43.56
11	विशाखापट्टनम	41.80	61.39	49.16	55.48	40.14	43.56
12	विजयानगरम	40.52	59.52	47.68	54.00	38.92	42.34
13	पश्चिम गोदावरी	41.80	61.39	49.16	50.86	40.14	43.56